तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	प्र. नं. 34/19 इजराय हनुमान / श्योनारायण
21/12/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। यू.टी. वकील अनुपस्थित है। बार–बार आवजे लगवायी गयी किन्तु अप्रार्थीगण मय यू.टी. वकील उपस्थित नहीं हुये है। कई अवसर दिये जाने पर भी यू.टी. वकील द्वारा ना ही वकालतनामा पेश किया है ओर ना ही जवाब पेश किया है। अतः यू0टी0 खारिज की जाती है। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–9 नियम–7 सीपीसी में पेश कर विपक्षी सं. 9 का स्वर्गवास होने से उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया है। न्याय हीत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मृतक प्रतिवादी संख्या–9 के स्थान पर उसके वारिसान को 9/1 से 9/7 को रिकार्ड पर लिया जाता है। तदनुसार प्रस्तुत किया गया सशांधित शीर्षक शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रकरण उनवानी हनुमान बनाम श्योनारायण वगेराह में प्रार्थी के विरूद्ध की गयी एक तरफा कार्यवाही को निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद में शामिल किया जावे। (नित्या के0) आईएएस उपखण्ड अधिकारी, टोंक उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)